न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), नीमकाथाना (सीकर)

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव, आर.ए.एस

मुकदमा न. 79/2025

1. राधेश्याम पुत्र झाबरमल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बोपिया तहसील पाटन जिला सीकर राज.।

–वादी

बनाम

1. मातादीन पुत्र सोहनलाल गुर्जर
2. जोराराम पुत्र सोहनलाल गुर्जर
3. हजारीलाल पुत्र श्योदान गूर्जर
4. गुरूदयाल पुत्र श्योदन गुर्जर
5. लीलाराम पुत्र श्योदान गुर्जर
6. महेश पुत्र हजारीलाल
7. धर्मेन्द्र पुत्र गुरूदयाल
8. सुरेश पुत्र हजारीलाल
9. यादराम पुत्र गुरूदयाल
10. राजेश पुत्र गुरूदयाल
11. मुकेश पुत्र मातादीन
12. संदीप पुत्र जोराराम गुर्जर
    समस्त जाति गुर्जर निवासी बोपिया तहसील पाटन जिला सीकर राज.।
13. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

–प्रतिवादीगण

14. रणजीत पुत्र गोदाराम जाति गुर्जर निवासी राहेडा तहसील कोटपूतली जिला कोटपूतली–बहरोड़ राज.।

–तरतीबी प्रतिवादी

वदपत्र बाबत निष्कासन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं हर्जा

उपस्थित प्रार्थी की ओर से:– श्री सत्यनारायण गौड़ एडवोकेट

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

निर्णय

दिनांकः— **24.12.2025**

वादी का वादपत्र संक्षेप मे इस प्रकार पेश है कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी भूमि ख0नं0 911 रकबा 0.21 है0 वाके ग्राम बोपिया तहसील पाटन का रिकार्डेड काबिज खातेदार हैं तथा उक्त भूमि में से 27/28 हिस्से की खातेदारी वादी की है तथा 1/28 हिस्से की खातेदारी तरतीबी प्रतिवादी नं0 14 रणजीत की हैं। उक्त भूमि से प्रतिवादीगण का कोई संबंध एवं सरोकार किसी भी प्रकार का कभी नही रहा, ना हो सकता हैं। वादी ने उक्त भूमि जरिए पंजिकृत विक्रय पत्र दिनांक 01.10.2020 द्वारा रिकार्डेड खातेदारान से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था तथा भूमि खरीद के बाद भूमि को विकसित करने तथा पशुओं से फसल को बचाने के लिए पश्चिम दिशा में स्थित बोपिया मैन रोड़ पर पत्थरो की बाउण्ड्रीवाल करीब 5 फुट ऊंचाई का निर्माण कार्य कर लिया था। वादी की खातेदारी भूमि ख0नं0 911 के पूर्व दिशा में तथा उतर दिशा में सिवायचक भूमि ख0नं0 892 एवं 1235/891 है उसमें से प्रतिवादीगण नं0 1 ता 12 की पट्टेशुदा मकानात है। जो सन 2018 एवं 2019 में पट्टा प्राप्त करने के बाद बनाये गये हैं। आबादी भूमि ख0नं0 892/1 एवं वादी की खातेदारी की भूमि ख0नं0 911 के मध्य सिवायचक भूमि करीब 30—40 मीटर दूरी पर स्थित हैं। इस प्रकार से प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 से कभी कोई संबंध एवं सरोकार वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी की खातेदारी भूमि से नही हो सकता हैं। प्रतिवादी नं0 1 ता 12 ने संख्या में ज्यादा होने एवं लड़ाकू किस्म के होने के कारण से पहले सिवायचक भूमि ख0नं0 892 पर अनाधिकृत कब्जा दीवार बनाकर करने का प्रयास सन 2020 में प्रारम्भ किया था जिस पर धारा 91 भू—राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत रिपोर्ट हल्का पटवारी ने दिनांक 29.01.2020 को पेश होने पर नायब तहसीलदार पाटन ने दिनांक 19.02.2020 के निर्णय द्वारा प्रतिवादी को सिवायचक भूमि पर किए गए अनाधिकृत निर्माण एवं कब्जे को हटाने का, बेदखल करने का आदेश पारित किया था। लेकिन प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 ने अपने संख्याबल, धनबल का दुरूपयोग करके निर्णय दिनांक 19.02.2020 की पालना अभी तक नही होने दी हैं। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 ने बदनियति पूर्वक अनाधिकृत अतिक्रमण को वादी की खातेदारी भूमि ख0नं0 911 में भी अनाधिकृत प्रवेश करके अचानक पत्थर, छड़िया डालकर अतिक्रमण कर लिया। तरतीबी प्रतिवादी नं. 14 आर्मी में सेवारत था एवं वादी किसी कार्य से बाहर गया था तब दिनां 03.01.2021 को

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

प्रतिवादीगण नं. 1 ता 12 ने अतिक्रमण करने का कार्य किया। गांववालों की समझाईश करने पर प्रतिवादी नं. 1 ता 12 ने आश्वस्त किया कि वे लड़ाई नही करेंगें तथा सीमाज्ञान रिपोर्ट के अनुसार पत्थरगढी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी द्वारा कराए जाने पर अतिक्रमण को हटा लेगें। न्यायालय के आदेशानुसार दिनांक 19.05.2025 को मौके पर वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी नं. 14 की खातेदारी भूमि की पत्थरगढी की गई उस दौरान प्रतिवादीपक्ष मौजूद था लेकिन प्रतिवादीपक्ष ने वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी की खातेदारी भूमि पर 28 मीटर की भूमि पर मैन रोड़ की महत्वूपूर्ण भूमि पर कब्जा कर लिया जबकि ऐसा करने का प्रतिवादीगण को कोई अधिकार ही नही हैं। इस प्रकार पत्थरगढी किए जाने के बाद भी प्रतिवादी नं. 1 ता 12 द्वारा अनाधिकृत अतिक्रमण नही हटाने के कारण वाद कारण उत्पन्न होकर अन्दर मियाद वादपत्र पेश किया गया हैं।

वादपत्र प्रस्तुत होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जरिये सम्मन नोटिस की गई। प्रतिवादीगण के विरूद्व बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आने पर एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रकरण में साक्ष्य वादी के रूप में मुख्य परिक्षण बाबत शपथ पत्र पेश किये गये।

वादी के वादपत्र तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं पेशशुदा शपथ–पत्रों का घ्यानपूर्वक परिशीलन किया गया। वकील वादी की बहस पर सगौर मनन किया। चूंकि मुताबिक फर्द रिपोर्ट पत्थरगढी वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी की खातेदारी भूमि ख0नं0 911 की पत्थरगढी की कार्यवाही न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना के निर्णय दिनांक 05.05.2025 के अनुसरण में करने पर पाया गया कि ख0नं0 911 का उतरी पूर्वी कोने से दक्षिणी दिशा की तरफ 28 मीटर तक किसी अन्य दीगर व्यक्ति का कब्जा होना पाया गया हैं। प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 बावजूद सम्यक तामील हाजिर अदालत नही आये जिससे उक्त प्रतिवादीगण की वादी के वादपत्र पर मौन स्वीकृति जाहिर होती हैं। जिस कारण वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी नं. 14 की खातेदारी भूमि ख0नं0 911 पर दीगर व्यक्तियों का अनाधिकृत अतिक्रमण को हटवाया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं। अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक मे वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार कर प्रकरण में निर्णय इस आशय का जारी किया जाता हैं कि:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

—: आदेश :—

तहसीलदार पाटन को आदेशित किया जाता हैं कि तन ग्राम बोपिया पटवार हल्का छाजा की नांगल तहसील पाटन जिला सीकर में अवस्थित भूमि खसरा नम्बर 911 जो कि वादी एवं तरतीबी प्रतिवादी सं. 14 की खातेदारी भूमि है, में उत्तरी पूर्वी कोने से दक्षिणी दिशा की तरफ 28 मीटर मुताबिक पत्थरगढ़ी रिपोर्ट दिनांकित 19.05.2025 जो अवैध रूप से कब्जा प्रतिवादीगण सं0 1 ता 12 द्वारा किया गया हैं। उक्त अवैध कब्जे को दोनो पक्षों की उपस्थिति में हटवाया जाकर कब्जा वादी व तरतीबी प्रतिवादी सं0 14 को दिलवाया जावें। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 12 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता हैं कि वे वादीपक्ष की खातेदारी भूमि ख0नं0 911 रकबा 0.21 है0 तन ग्राम बोपिया तहसील पाटन के पत्थरगढी के पीलरों को नही तोड़े तथा अनाधिकृत अतिक्रमण की गई भूमि सहित उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का स्थाई एवं अस्थाई निर्माण नही करें, ना किसी अन्य से करवाये, ना ही ऐसा कोई कृत्य करे व करवाये जिससे वादीपक्ष के अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़े। तदनुसार पर्चा डिक्री मूर्तीव हो।

यह निर्णय मेरे द्वारा सरे इजलास दिनांक 24.12.2025 को सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (F.T.) ... (सीकर)

(राजवीर सिंह यादव)

सहायक कलक्टर

(फास्ट ट्रेक) नीमकाथाना

सहायक कलक्टर (F.T.)

नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested

डिकी मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) मुकाम नीमकाथाना (सीकर)
बइजलास **राजवीर सिंह यादव R.A.S.**

1. राधेश्याम पुत्र झाबरमल गुर्जर जाति गुर्जर निवासी बोपिया तहसील पाटन जिला सीकर राज.।

—वादी

बनाम

1. मातादीन पुत्र सोहनलाल गुर्जर वगैरह

—प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत निष्कासन, स्थाई निषेधाज्ञा एवं हर्जा

मुकदमा नं. 79 सन् 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू **राजवीर सिंह यादव आर.ए.एस** व हाजिरी श्री सत्यनारायण सैनी एडवोकेट मिनजानिब मुद्दई रूबरू .... मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि **वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाने पर न्यायहित में स्वीकार किया जाता हैं। निर्णय दिनांक 24.12.2025 डिक्री का भाग रहेगा।**

.निज.....................मुबलिग...बाबत...खर्चा इस मुकदमें के मय सूद बशरह.........फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक ......का अदा करें। बसव्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 24 माह 12 सन् 2025 को जारी की गई।

मुहर

दस्तखत............
सहायक कलक्टर (F.T.)
नीमकाथाना (सीकर)

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय		
बाबत इजराय			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
मीजान					

खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का चाहे डिगरी के [illegible] दिखाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2026.01.12 10:49:14 IST
Reason: SelfAttested